

उपायुक्त का न्यायालय, कोडरमा

कोडरमा-तिलैया रेल लाईन निर्माण हेतु भू-हस्तांतरण (रैयती मान्यता)

अभिलेख संख्या-15/2015-16

Misc. - 15/2015

श्री काली भूइयां बनाम राज्य।

आदेश

08/6/16
आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं सरकारी अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

आवेदक काली भूइयां पिता-स्व0 देवा भूइयां, साकिन-कौआवर, जिला-कोडरमा भूमि की विवरणी निम्नवत् है:-

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकवा
कौआवर	236	92	190	1.50ए0

अपर समाहर्ता, कोडरमा के पत्रांक 764/रा0 दिनांक 17.05.2016 द्वारा कोडरमा से तिलैया रेल लाईन परियोजना से संबंधित मौजा-कौआवर, थाना नं0-236, खाता नं0-92, प्लॉट नं0-190, रकवा-1.50ए0 गैर मजरूआ खास भूमि का रैयती मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा के साथ प्राप्त हुआ है।

आवेदक एवं आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि उक्त जमीन व र्ष 1988-89 में आवेदकगण के पिता काली भूइयां पिता-स्व0 देवा भूइयां को पर्चा द्वारा प्राप्त है, जिसपर आवेदकगण शांतिपूर्वक दखलकार रहकर मालगुजारी रसीद कटाते चले आ रहे हैं। उपरोक्त वर्णित भूमि कोडरमा तिलैया रेल लाईन निर्माण हेतु अधिग्रहित की गयी है। आवेदकगण को उक्त वर्णित भूमि का रैयती मान्यता प्रदान कर मुआवजा भुगतान प्रदान करने हेतु अनुरोध किया है।

अभिलेख में अंचल अधिकारी, कोडरमा एवं अनुमंडल पदाधिकारी-सह-भूमि सुधार उप समाहर्ता, कोडरमा के द्वारा प्रश्नगत रकवा-1.50ए0 भूमि की जमाबन्दी पंजी-ii के पृ0 सं0-3/3 पर काली भूइयां पिता-स्व0 देवा भूइयां के नाम से कायम है तथा लगान रसीद वर्षवार निर्गत है। उक्त भूमि बन्दोबस्ती वाद संख्या-15/1988-89 के द्वारा हासिल है। उक्त भूमि रकवा-1.50ए0 भूमि कोडरमा-तिलैया रेल लाईन निर्माण हेतु अधियाचित है। सुनवाई के दौरान सरकार द्वारा निर्गत Original बन्दोबस्ती पर्चा दाखिल किया गया। अंचल अधिकारी, कोडरमा से संबंधित भूमि पर दखल प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी, कोडरमा के पत्रांक 606 दिनांक 03.06.2016 के पत्र में अंकित है कि पर्चा मिलने के बाद से ही रैयत का भूमि पर शांतिपूर्ण दखल है।


आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं सरकारी अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि प्रस्तावित भूमि मौजा-कौआवर, थाना नं0-236, खाता नं0-92, प्लॉट नं0-190, रकवा-1.50ए0 पर आवेदक का हक-दखल कब्जा है। अतः उपरोक्त भूमि पर आवेदक को रैयती मान्यता प्रदान की जाती है। पारित आदेश की प्रति अभिलेख के साथ अपर समाहर्ता, कोडरमा को अपर कार्रवाई हेतु भेजे।

लेखापित एवं संशोधित



उपायुक्त कोडरमा।




उपायुक्त
कोडरमा।